


## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-000225

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध साईं डेव्हलपर्स द्वारा अर्चना गुप्ता, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/12/18	<p>– प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>– अनावेदिका स्वयं उपस्थित।</p> <p>– प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदिका द्वारा रेरा में स्वयं का एजेंट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए बिना, सेजबहार, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था।</p> <p>– इस संबंध में अनावेदिका को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदिका ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदिका का प्रमुख रूप से कथन किया गया है कि उन्हें रेरा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण अनजाने में यह चूक हुई है। अनावेदिका ने प्राधिकरण के समक्ष एजेंट रजिस्ट्रेशन करा लेने और भविष्य में रेरा अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करने का कथन करते हुए सद्भाविक त्रुटि के लिए क्षमा करने का अनुरोध किया है।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदिका द्वारा एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें दिनांक 03.12.2018 को एजेंट रजिस्ट्रेशन नंबर CGRERA031218A000319 जारी किया जा चुका है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में नये होने से अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा की गई चूक सद्भाविक है। अनावेदिका द्वारा प्राधिकरण से स्वयं का रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त किया जा चुका है। अतः अनावेदिका को अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में</p>	



*(Signature)*

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-000225

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध साई डेव्हलपर्स द्वारा अर्चना गुप्ता, रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p> <p>— प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p><del>(नरेन्द्र कुमार असवाल)</del> <del>सदस्य</del></p> <p>भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>13/12/18</p> <p>(राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p>भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p> <p>(विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p> <p>भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	

